न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 38/2022

किस्म :– वाद–पत्र

दायर दिनांक : 16.08.2022

निर्णय दिनांक : 11.11.2025

अनवान

1. बंशीलाल पुत्र जेतालाल जाति रेगर, निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

वादी

बनाम

1. किशन पुत्र चम्पा जी जाति धोबी, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् –विभाजन आर0टी0ए0

वादी अधिवक्ता– राकेश सनाढ्य

प्रतिवादी अधिवक्ता– मुरलीधर दशोरा

निर्णय

वादी ने वाद अर्न्तगत धारा 53 आर0टी0ए0 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जुणदा पटवार हल्का जुणदा तहसील रेलमगरा की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के सयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नया 68 में आराजी संख्या 747 व 748 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0521 हेक्टेयर स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित नकल साथ सलग्न है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात् में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है।

वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या के विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री जारी कि गयी। जिसकी पालना में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा मिट्स एण्ड बोड्स पद्वति के अनुसार विभाजन विभाजन योजना प्रस्तुत की गयी।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पक्षकारान ने सहमती जाहीर कि गयी एवं तहसील से प्राप्त विभाजन योजना का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा राजस्व मण्डल के नियमों के परिपेक्ष में आराजी संख्या 747, 748, का विभाजन किया जाकर विभाजन योजना प्रस्तुत कि गयी। हैं जो न्यायोचित प्रतीत होती हैं। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती हैं।

क.स.	खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
01	किशनलाल पुत्र चम्पा धोबी सा0देह0 खातेदार	747 मी.	0.5260	1.62
	योग	747 मी.	0.5260	1.62
02	बंशीलाल पुत्र जेतालाल रेगर सा0देह0 खातेदार	748 747/1	0.1943 0.3318	1.03 0.61
	योग	02	0.5261	1.64

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार तहसीलदार रेलमगरा पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक को 11/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 36/2022

अनवान

वादीपक्ष :–

1– बंशीलाल पुत्र जेतालाल जाति रेगर, निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

बनाम

प्रतिवादीपक्षः–

1– किशन पुत्र चम्पा जाति धोबी, निवासी जीतावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

दावाः– 53 आर0 टी0 ए0

वादी अधिवक्ता– राकेश सनाढ्य

प्रतिवादी अधिवक्ता– मुरलीधर दशोरा

में इस आशय में दिनांक 16/03/2026 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है तहसीलदार रेलमगरा से प्राप्त विभाजन योजना अनुसार पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क.स.	खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
01	किशनलाल पुत्र चम्पा धोबी सा0देह0 खातेदार	747 मी.	0.5260	1.62
	योग	747 मी.	0.5260	1.62
02	बंशीलाल पुत्र जेतालाल रेगर सा0देह0 खातेदार	748 747/1	0.1943 0.3318	1.03 0.61
	योग	02	0.5261	1.64

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसीलदार रेलमगरा पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा।

आज दिनांक को 16/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा